संख्या– 1020 /XV-3/2018-08(08)/2016

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 15 अक्टूबर, 2018

विषय– "राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना" अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1440/रा०मा०इ०यो०/2018–19, दिनांक 14 जून, 2018 एवं पत्र संख्या–4095/रा०मा०इ०यो०/2018–19, दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मत्स्य विभाग की **"राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना"** (राज्य सेक्टर) योजनान्तर्गत कुल लागत रू० 40.00 लाख {रू० 20.00 (देय अनुदान) + रू० 20.00 (लाभार्थी अंश)} की योजना हेतु संलग्न परिशिष्ट **'क'** की तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु संलग्न परिशिष्ट–**'ख'** की तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित जनपदों हेतु स्तम्भ–15 के विवरण के सापेक्ष कुल धनराशि **रू० 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII (1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(2) उक्त योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–806/XV-3/2017-01(27)/2005, दिनांक 19 जनवरी, 2018 द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी **Allotment ID** की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(4) योजनान्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण **DBT** के माध्यम से किया जायेगा तथा लाभार्थियों के चयन व योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी०एम०–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(8) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

क्रमशः.....2

(9) किसी भी दशा में एक मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरादायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(10) जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र, व्यय विवरण एवं लाभार्थियों की सूची **फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्यौरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदान संख्या–28 में लेखाशीर्षक–2405–मछलीपालन–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–**04–राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना**–42–अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017 /XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

**संलग्नकः यथोक्त।**

भवदीय,

**(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)**
सचिव।

**संख्या– 1020 ( )/XV-3/2018-08(08)/2016(बजट),तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(वी०एस० पुण्डीर)**
उप सचिव।

**क्रमशः......3**

शासनादेश संख्या– 1020/XV-3/2018-08(08)/2016, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक

परिशिष्ठ–'क'

1– राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू० 20.00 लाख के सापेक्ष भौतिक लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण

| क्र0 सं0 | जनपद | मानक | | | कुल लक्ष्य (कुन्तल में) | | | जाल (10X6 मी० साईज) – फिंगरलिंग साईज | जाल (25 X 6 मी० साईज) | हैण्डनेट | हापा (4 × 2 × 1.5 मी०) | मिनीकिट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0.01 है० प्रति यूनिट की दर से कुल यूनिटों की संख्या | 0.20 है० प्रति यूनिट की दर से कुल यूनिटों की संख्या | 0.20 से बड़े क्षेत्रफल हेतु प्रति हैक्टेयर की दर से | 2.00 कुन्तल /यूनिट (0.01 है0) की दर से | 6.00 कुन्तल /यूनिट (0.20 है0) की दर से | 10.00 कुन्तल/है0 (0.20 है0से बड़े) | | | | | |
| –1– | –2– | –3– | –4– | –5– | –6– | –7– | –8– | –9– | –10– | –11– | –12– | –13– |
| 1. | नैनीताल | 11 | 0 | 0 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 2. | अल्मोड़ा | 11 | 0 | 0 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 3. | पिथौरागढ़ | 13 | 0 | 0 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 4. | चम्पावत | 10 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 5. | बागेश्वर | 10 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 6 | चमोली | 12 | 0 | 0 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 7 | पौड़ी | 13 | 0 | 0 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | उत्तरकाशी | 11 | 0 | 0 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 9 | टिहरी | 12 | 0 | 0 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 10 | रूद्रप्रयाग | 6 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 11 | देहरादून | 11 | 2 | 0 | 22.00 | 12.00 | 0.00 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 12 | हरिद्वार | 0 | 18 | 26 | 0.00 | 108.00 | 260.00 | 0 | 14 | 13 | 13 | 1 |
| 13 | उधमसिंहनगर | 0 | 20 | 26 | 0.00 | 120.00 | 260.00 | 0 | 14 | 13 | 13 | 1 |
| | योग | **110** | **35** | **52** | **240.00** | **240.00** | **520.00** | **65** | **30** | **92** | **92** | **13** |

(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

शासनदेश संख्या– 1020 /XV-3/2018-08(08)/2016, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक

परिशिष्ट–ख

राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू० 20.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण

(धनराशि हज़ार में)

| क्र० सं० | जनपद | मत्स्य आहार | | जाल (10 × 6 मीटर साईज)– फिंगरलिंग साईज | | जाल (25 × 6 मीटर साईज) | | हैण्डनेंट | | हापा (4×2× 1.5 मीटर) | | मिनीकिट | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | देय अनुदान | लाभार्थी अंश | देय अनुदान | लाभार्थी अंश | देय अनुदान | लाभार्थी अंश | देय अनुदान | लाभार्थी अंश | देय अनुदान | लाभार्थी अंश | देय अनुदान | लाभार्थी अंश | कुल देय अनुदान | लाभार्थी अंश |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- |
| 1. | नैनीताल | 38.5 | 38.5 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 5.00 | 52.1 | 52.1 |
| 2. | अल्मोड़ा | 38.5 | 38.5 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 5.00 | 52.1 | 52.1 |
| 3. | पिथौरागढ़ | 45.5 | 45.5 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 5.00 | 59.1 | 59.1 |
| 4. | चम्पावत | 35.0 | 35.0 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 5.00 | 48.6 | 48.6 |
| 5. | बागेश्वर | 35.0 | 35.0 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 5.00 | 48.6 | 48.6 |
| 6. | चमोली | 42.0 | 42.0 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 5.00 | 55.6 | 55.6 |
| 7. | पौड़ी | 45.5 | 45.5 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 5.00 | 59.1 | 59.1 |
| 8. | उत्तरकाशी | 38.5 | 38.5 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 5.00 | 52.1 | 52.1 |
| 9. | टिहरी | 42.0 | 42.0 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 5.00 | 55.6 | 55.6 |
| 10. | रूद्रप्रयाग | 21.0 | 21.0 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 5.00 | 34.6 | 34.6 |
| 11. | देहरादून | 59.5 | 59.5 | 4.70 | 4.70 | 5.24 | 5.24 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 5.00 | 5.00 | 77.4 | 77.4 |
| 12. | हरिद्वार | 644.0 | 644.0 | 0.00 | 0.00 | 36.67 | 36.67 | 1.33 | 1.33 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 692.08 | 692.08 |
| 13. | उधमसिंहनगर | 665.0 | 665.0 | 0.00 | 0.00 | 36.67 | 36.67 | 1.33 | 1.33 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 713.08 | 713.08 |
| | योग | **1750.00** | **1750.00** | **61.1** | **61.1** | **78.58** | **78.58** | **9.37** | **9.37** | **36.01** | **36.01** | **65.00** | **65** | **2000.06** | **2000.06** |

**नोटः–कुल रूपये बीस लाख मात्र की धनराशि स्वीकृत**

{कुल देय अनुदान (कालॅम–15) = कालॅम 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13}

(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Fisheries (S014)

पत्र संख्या - 4095/XV-3/2018-08(08)/2016, dated 15-10-2018

अलोटमेंट आई डी - S1810280101

अनुदान संख्या - 028

आवंटन पत्र दिनांक -15-Oct-2018

HOD Name - Director Fisheries (4362)

लेखा शीर्षक: 2405 - मछली पालन 00 -

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

04 - राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना

00 - SS

Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 42 - अन्य व्यय | 0 | 2000000 | 2000000 |
| | **0** | **2000000** | **2000000** |

**Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2000000**

(वी०एस० पुन्डीर)
उप सचिव
पशुपालन,डेरी,मत्स्य एवं भाषा विभाग
उत्तराखण्ड शासन।